न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—34 / 19 (2019 / 00074) वाद पत्र

अनवान

1—डालचन्द आत्मज बालुराम कुम्हार निवासी नान्दशा जागीर तह0 रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1—सुभाषचन्द्र आत्मज लक्ष्मीलाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1—फारूख मोहम्मद

अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक 04 / 02 / 2020

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में चान्दमल, सुभाषचन्द आत्मज लक्ष्मीलाल महाजन के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 362 / 1क रकबा 12 बीघा भूमि स्थित थी प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। खातेदार चान्दमल, सुभाषचन्द्र आत्मज लक्ष्मीलाल महाजन ने उक्त आराजी संख्या 362 / 1क रकबा 12 बीघा भूमि को दिनांक 23.05.95 को मुझ वादी को बिल ऐवज 120000 / — रूपये विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया तथा खातेदार चान्दमल, सुभाषचन्द्र ने दिनांक 23.05.95 को मुझ वादी के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करवा उसे दिनांक 25. 06.95 को पंजीबद्व करवा दिया तब से ही उक्त आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्मरणकरण संख्या 1340 दिनांक 29.05.95 को वादी के नाम फैसल किया गया। फैसल नामान्तरणकरण का इन्द्राज जमाबन्दी 2052 से 2055 में दर्ज किया गया है। ग्राम नान्दशा का नवीन भु प्रबन्ध हुआ जिसमे वादी द्वारा क्रय की गई साबिक आराजी संख्या 362 / 1क रकबा 12 के नवीन नम्बर 1103 रकबा 2.59 है0 कायम किये गये। यह है कि भू प्रबन्ध अधिकारियो एवं कर्मचारियो को राजस्व रेकार्ड में फेरबदल करने का कोई अधिकार नही होते हुए भी उन्होन गैर कानुनी तरीके से बिना किसी न्यायालय आदेश के नवीन आराजी संख्या 1103 को गलत रूप से वादी डालचन्द व सुभाषचन्द्र लक्ष्मीलाल महाजन के नाम कर दी। जबकि चान्दमल व सुभाषचन्द्र आत्मज लक्ष्मीलाल महाजन ने सम्पूर्ण आराजी मुझ वादी को जरिये रजिस्डर्ड विक्रय पत्र के विक्रय कर कब्जा सिपूर्द किया गया। अतः खातेदारी अधिकार एवं इन्द्राज दुरस्ती की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 1103 रकबा 2.59 है0 भूमि का तन्हा रूप से वादी खातेदार काश्तकार है तदनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड से बतौर खातेदार हटाया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 09/05/2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 बावजुद सुचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। एवं प्रतिवादी संख्या 2 फोरमल पक्षकार होने से वादी द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया है। साथ ही वादी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अकित किया कि वादवर्णित भूमि जरिये रजिस्डर्ड विक्रय पत्र से क्रय की जिसका नामान्तरणकरण वादी के नाम फैसल किया लेकिन आगामी रोटेशन जमाबन्दी में सेवन से पुनः सुभाषचन्द्र का नाम दर्ज हो गया जो केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि है जो दुरस्ती योग्य है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया तो पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 बावजुद सुचना उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही का निर्णय पारित हो चुका है वादी द्वारा मूल खातेदार चान्दमल, सुभाषचन्द्र पिता लक्ष्मीलाल महाजन से जरिये रजिस्डर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.06.95 को क्रय की गई है ओर इस रजिस्डर्ड दस्तावेज के आधार पर क्रेता वादी के पक्ष दिनांक 30.11.95 को राजस्व रेकार्ड में नामान्तरणकरण स्वीकृत होकर राजस्व रेकार्ड में अमल हो चुका था किन्तु तहसील रायपुर में नवीन भू प्रबन्ध के दौरान रेकार्ड तैयारी के समय वादी क्रेता के साथ में विक्रेता सुभाषचन्द्र आत्मज लक्ष्मीलाल का नाम सेवन से दर्ज हो गया जबकि खातेदार सुभाषचन्द्र अपना हक पहले से ही वादी के पक्ष में स्थानन्तरित कर चुका था किन्तु लिपिकीय त्रुटि से पुनः क्रेता वादी के साथ सुभाषचन्द्र का नाम दर्ज हो गया था ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी संख्या 1103 रकबा 2.59 हे मे प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने की घोषणात्मक डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित हैं।

आदेश

अतः ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में नवीन आराजी संख्या 1103 रकबा 2.59 है0 भूमि में प्रतिवादी सख्या 1 सुभाषचन्द्र पिता लक्ष्मीलाल महाजन निवासी रायपुर का नाम हटाया जाकर वादी के नाम सम्पूर्ण खाता राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार डिक्री जारी हो तहसीलदार रायपुर आदेश की पालना करे।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4.2.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाडा (राज)

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–34 / 19 (2019 / 00074) वाद पत्र

अनवान

1–डालचन्द आत्मज बालुराम कुम्हार निवासी नान्दशा जागीर तह0 रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1–सुभाषचन्द्र आत्मज लक्ष्मीलाल महाजन निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

2–राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में नवीन आराजी संख्या 1103 रकबा 2.59 है0 भूमि में प्रतिवादी सख्या 1 सुभाषचन्द्र पिता लक्ष्मीलाल महाजन निवासी रायपुर का नाम हटाया जाकर वादी के नाम सम्पूर्ण खाता राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार डिक्री जारी हो तहसीलदार रायपुर आदेश की पालना करे।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4.2.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.02.07 17:35:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: